न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 55 / 2024 **दायर दिनांक :—21.10.2024**

उनवान

1. राजूलाल आयु 35 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति सहरिया निवासी अटरू
2. सन्तोष बाई आयु 40 वर्ष पुत्री बाबूलाल जाति सहरिया निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारों (राज०) मो० 9079909774

वादीगण

बनाम

1. केला बाई आयु 75 वर्ष पुत्री पून्या जाति सहरिया निवासी अटरू
2. तुलसीराम आयु 55 वर्ष पुत्र पून्या जाति सहरिया निवासी अटरू
3. दाखा बाई आयु 50 वर्ष पत्नि स्व० छीतरलाल जाति सहरिया
4. नवल आयु 40 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति सहरिया
5. मुकेश आयु 45 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति सहरिया
6. राकेश आयु 30 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति सहरिया
7. मीना कुमारी आयु 25 वर्ष पुत्री छीतरलाल जाति सहरिया
8. छल्लौ आयु 23 वर्ष पुत्री मोहनलाल जाति सहरिया निवासीगण अटरू तहसील अटरू जिला बाराँ (राज०)
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारों राज

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरश्ती अन्तर्गत धारा 88,89,91 आर0 टी0 एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री दिग्विजय सिंह हाडा

निर्णय दिनांक 30/06/2025

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 88,89,91 आर0 टी0 एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल अटरू तहसील अटरू जिला बाराँ राज० में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज पून्या सहरिया के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 148 का ख0न0 1807 का रकबा 0.78 हे० स्थित है वाद पत्र के साथ नकल जमाबन्दी पेश है जो काबिल गौर है।

मृतक पून्या का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :–

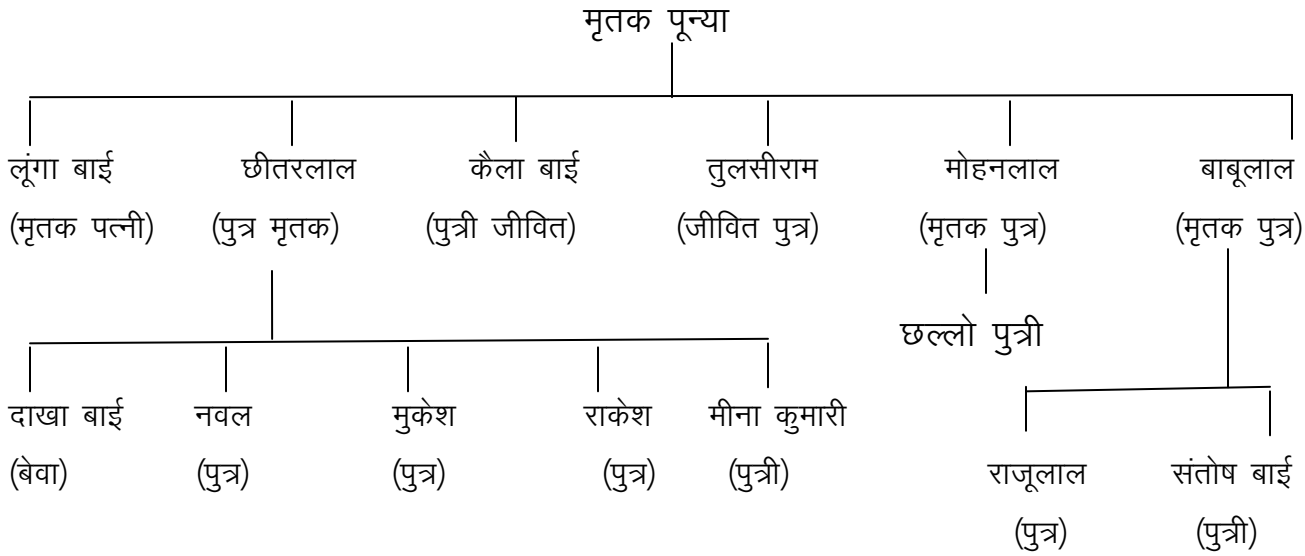

वर्तमान में पून्या के वारिसान के रूप में उसकी एक पुत्री कैला बाई तथा एक पुत्र तुलसीराम जीवित है तथा मृतक छीतर लाल के वारिसान प्रतिवादी 3 लगायत 7 जीवित है तथा मोहनलाल के एक मात्र पुत्री प्रतिवादी क्रम 8 जीवित है तथा बाबूलाल के राजू लाल व सन्तोष बाई वादीगण है जो जीवित है इस तरह से वाद पत्र के मद न. 1 में वर्णित आराजी में वादीगण का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 1,2 का 1/5,1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 7 का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 8 का 1/5 हिस्सा बनता है और इसी तरह से यह हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिये था लेकिन पून्या की मृत्यु के बाद फोती नामान्तकरण उसके वारिसान के नाम दर्ज करते समय वादीगण के पिता बाबूलाल की मृत्यु हो जाने की वजह से वादीगण के पिता के स्थान वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हो सका वादीगण द्वारा हल्का पटवारी से राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करने के लिये सम्पर्क किया तथा तहसीलदार साहब के पास राजस्व रिकार्ड में वादीगण ने नाम दर्ज करने का निवेदन किया तो उन्होने दिनांक 15.07.2024 न्यायालय में इन्द्राज दुरुश्ती का वाद पेश करने की हिदायत दी है इस पर वादीगण यह इन्द्राज

दुरुश्ती का वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश कर निवेदन करते है कि खाता संख्या 148 का ख0न0 1807 का रकबा 0.78 हे० माल अटरू तहसील अटरू जिला बारां की आराजी के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूश्त करते हुये मृतक लूंगा बाई का नाम राजस्व रिकार्ड में से हटाया जाकर उक्त आराजी में मृतक पून्या के वैध वारिश बाबूलाल मृतक के वारिसान वादीगण होने की वजह से राजस्व रिकार्ड में 1/5 हिस्से पर वादीगण के नाम दर्ज किया जावें। इसी तरह से 1/5, 1/5 हिस्से पर प्रतिवादी क्रम 1,2 के नाम दर्ज किया जावें इसी तरह से प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 7 के 1/5 हिस्सा दर्ज किया जावे तथा इसी प्रकार मृतक मोहनलाल की वारिश छल्लो पुत्री का 1/5 हिस्सा दर्ज किया जावें ताकि सभी वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो सके। वादीगण द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बाराँ को रजिस्टर्ड नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा०दी० मियादी दो माह प्रेषित करवा दिया है लेकिन वर्तमान खातेदार आराजी को खुर्द बुर्द बेचान करने पर आमादा है यदि नोटिस अवधि समाप्त होने का इन्तजार किया गया और इस अवधि के दौरान प्रतिवादीगण द्वारा आराजी को खुर्द बुर्द बेचान कर दिया गया तो वादी द्वारा बाद में वाद में पेश करने का महत्व ही समाप्त हो जावेगा इस वजह से वादीगण का वाद आवश्यक प्रकृति का होने की वजह से नोटिस की अवधि दो माह समाप्त से पूर्व ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा०दी० के साथ माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा रहा है वादीगण को वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुये वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर नियमित सुनवायी की जावे। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 15.07.2024 को प्रतिवादी क्रम 9 तहसीलदार साहब द्वारा इन्द्राज दुरूश्त नही करके माननीय न्यायालय में इन्द्राज दुरुश्ती का वाद पेश करने की हिदायत देने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 03.09.2024 को प्रतिवादी क्र 1.2 द्वारा आराजी बेचान करने की वादीगण को धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। वाद ग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज० में स्थित है जिसका क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद घोषणा एवं इन्द्राज दुरुश्ती का होने की वजह से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार अटरू को उक्त वाद में प्रतिवादी क्रम 9 को आवश्यक पक्षकार दर्ज किया गया है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वादीगण घोषणा एवं इन्द्राज दुरुश्ती का वाद प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर मृतका लूंगा बाई का नाम राजस्व रिकार्ड खाता संख्या 148 में से हटाया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण को 1/5 हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम 1/5 हिस्से पर खाते दर्ज किया जावें तथा शेष प्रतिवादी क्रम 1,2 का 1/5, 1/5, प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 7 का 1/5 तथा प्रतिवादी क्रम 8 का 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड के मुताबिक यथावत रखा जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वाद पत्र की मद नं0 1 से मद नं0 5 स्वीकार है तथा मद नं0 6 से मद नं0 9 कानूनी है।

अतः माननीय न्यायालय मे प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 इकबाली जवाब दावा पेश कर निवेदन करते है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर चाहा गया अनुतोष वादीगण को प्रदान करते हुए पून्या के सजरे के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

साक्ष्यवादी के तहत राजूलाल पुत्र बाबूलाल जाति सहरिया निवासी अटरू तहसील अटरू के बयान लेखबद्व किए गए साक्ष्यवादी ने अपने बयानों में कथन किया कि संतोष मेरी सगी बहिन है। पून्या जो खातेदार थे मेरे दादाजी लगते है वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी मेरे दादाजी के खाते की थी। पून्या की पत्नी का नाम लूंगा बाई बेटों का नाम छीतरलाल, तुलसीराम, मोहनलाल, बाबूलाल व एक पुत्री केला बाई है। पून्या के वारिसान में लूंगा बाई जो मेरी दादी थी उसका स्वर्गवास हो चुका है। छीतरलाल जी मेरे दादाजी लगते थे उनका भी स्वर्गवास हो चुका है। पून्या का एक पुत्र तुलसीराम जीवित है। मोहनलाल तथा मेरे पिताजी बाबूलाल का भी स्वर्गवास हो चुका है। उनके हम दो भाई–बहिन संतोष बाई व मैं स्वयं हूॅ। छीतरलाल मृतक के दाखा बाई, नवल, मुकेश, राकेश व मीना कुमारी है तथा सभी जीवित है। हमारे बचपन में ही हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। हमारे पिताजी के स्वर्गवास के समय हम छोटे–छोटे थे। मेरे पिताजी पून्या के पहले मरने से मेरे पिताजी का नाम राजस्व रिकार्ड में नही आ सका। इसी वजह से हमारे नाम भी ख0नं0 1807 की आराजी नही आ सकी। अतः ख0नं0 1807 का रकबा 0.78 है0 आराजी में 1/5 हिस्सा मेरा भी दर्ज किया जावें तथा जो पून्या

की पत्नी थी वो मर चुकी है उसका भी नाम हटाया जावें। पून्या के वारिसान के सजरे के मुताबिक आराजी हम वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 के 1/5–1/5 हिस्सा दर्ज की जावें।

साक्ष्यप्रतिवादी के तहत केला बाई पुत्री पून्या जाति सहरिया निवासी अटरू व तुलसीराम पुत्र पून्या जाति सहरिया निवासी अटरू के बयान लेखबद्व किए गए। साक्ष्यप्रतिवादी केला बाई पुत्री पून्या व तुसलीराम पुत्र पुन्या ने अपने बयानों में बताया कि हमारे पिताजी पून्या के खाते की जमीन ख0नं0 1807 का रकबा 0.78 है0 आराजी अटरू के माल में स्थित है। हमारे पिताजी के हम चार बेटे छीतरलाल, बाबूलाल, मोहनलाल व तुलसीराम है तथा एक बेटी केला बाई है। हमारी मां का नाम लूंगा बाई था जो पून्या की पत्नी थी जिसका स्वर्गवास हो चुका है। बाबूलाल का भी स्वर्गवास हो चुका है। उसके दो बच्चे राजूलाल व संतोष बाई है। यह जमीन पून्या के चारो बेटों के वारिसान के तथा बहिन केला बाई के बराबर खाते बांध दी जावें।

प्रकरण के संबंध में तहसीलदार अटरू से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2024/3893 दिनांक 26.12.2024 से रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार ग्राम अटरू के खाता संख्या 148 का ख0नं0 1807 रकबा 0.78 है0 सेटलमेंट की नकल में पून्या पुत्र रामचन्द्र जाति सहरिया के खाते दर्ज थी। बाद में नामान्तकरण संख्या 246 से मृतक पून्या का विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया गया जिसमें छीतर, तुलसीराम, मोहन पुत्र केला पुत्री लुंगा बेवा का नाम वारिसान के रूप में दर्ज किया गया।

अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सूनी गई। अभिभाषक वादीगण द्वारा बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया कि वादीगण के दादाजी पून्या की मृत्यु के बाद फोती नामान्तकरण उसके वारिसान के नाम दर्ज करते समय वादीगण के पिता बाबूलाल की मृत्यु हो जाने की वजह से वादीगण के पिता के स्थान वादीगण का नाम ग्राम व माल अटरू के खाता संख्या 148 के ख0नं0 1807 रीकबा 0.78 है0 आराजी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हो सका तथा पून्या की पत्नी लूंगा का भी स्वर्गवास हो चुका है। अतः खाता संख्या 148 का ख0न0 1807 का रकबा 0.78 हे० माल अटरू तहसील अटरू जिला बारां की आराजी के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूश्त करते हुये मृतक लूंगा बाई का नाम राजस्व रिकार्ड में से हटाया जाकर उक्त आराजी में मृतक पून्या के वैध वारिश बाबूलाल मृतक के वारिसान वादीगण होने की वजह से राजस्व रिकार्ड में 1/5 हिस्से पर वादीगण के नाम दर्ज किया जावें।

अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा बहस के दौरान कोई आपत्ति पेश नही की गई तथा वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

तहसीलदार अटरू से पून्या के वारिसान की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/908 दिनांक 21.04.2025 से रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार मृतक पून्या का सजरा निम्न प्रकार हैः–

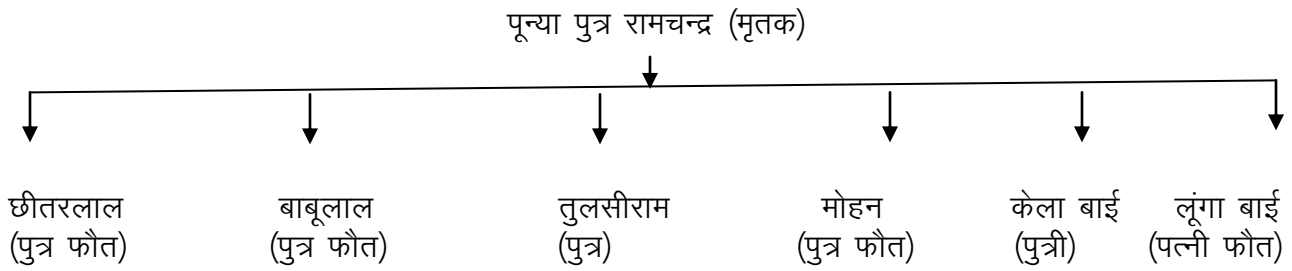

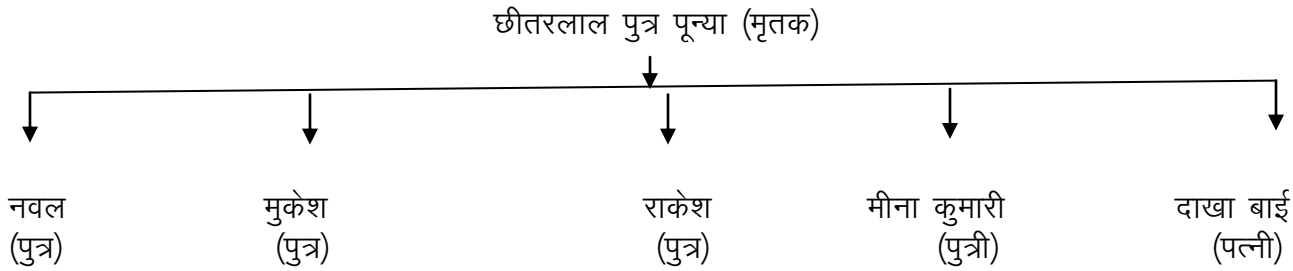

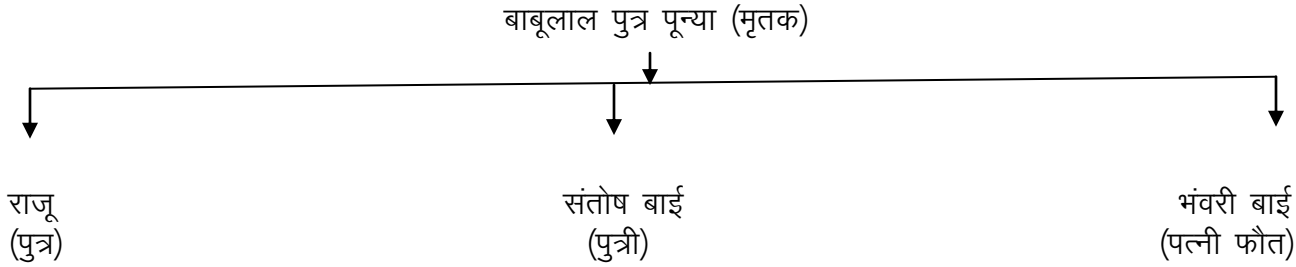

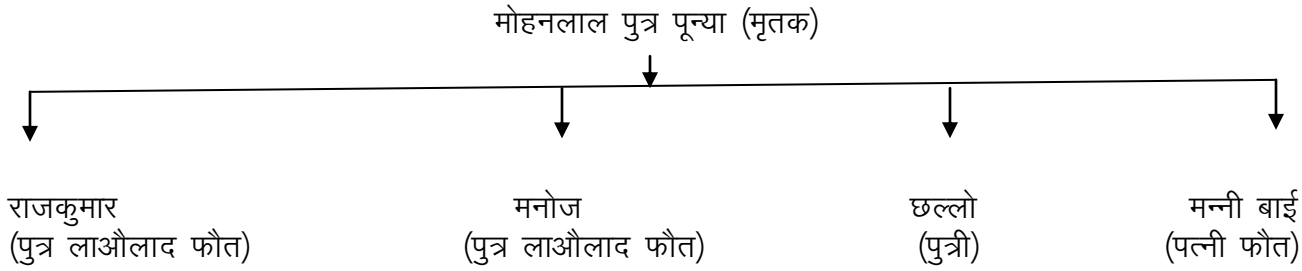

अभिभाषकगण की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम व माल अटरू पटवार हल्का अटरू जमाबन्दी सम्वत

2073–2076 (प्रदर्श–P3) के अनुसार खाता संख्या 148 का ख0नं0 1807 रकबा 0.78 है0 आराजी केलाबाई पुत्री पुन्या, छीतरलाल पुत्र पुन्या, तुलसीराम पुत्र पुन्या, मोहनलाल पुत्र पुन्या, लूगा बाई पत्नी स्व0 पुन्या के नाम खात दर्ज रिकार्ड है। मांग पर्ची ग्राम अटरू वर्ष 1991–1992 खाता संख्या 235 में काश्तकार के रूप में छीतर, बाबू, तुलसीराम, मोहन पुत्रान पून्या सहर सा0 देह खर्च है। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2024/3893 दिनांक 26.12.2024 के अनुसार ग्राम अटरू के खाता संख्या 148 का ख0नं0 1807 रकबा 0.78 है0 सेटलमेंट की नकल में पून्या पुत्र रामचन्द्र जाति सहरिया के खाते दर्ज थी। बाद में नामान्तकरण संख्या 246 से मृतक पून्या का विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया गया जिसमें छीतर, तुलसीराम, मोहन पुत्र केला पुत्री लुंगा बेवा का नाम वारिसान के रूप में दर्ज किया गया तथा रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/908 दिनांक 21.04.2025 के अनुसार वादीगण मृतक पून्या के बेटे बाबूलाल के वैध वारिसान है तथा लूंगा बाई की मृत्यु हो चुकी है। मांग पर्ची ग्राम अटरू वर्ष 1991–1992 खाता संख्या 235 दिनांक 23.11.91 के अनुसार भी बाबुलाल पून्या का पुत्र साबित है

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण व रिपोर्ट तहसीलदार के अवलोकन के आधार पर वादीगण का वाद न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 148 का खसरा नं. 1807 का रकबा 0.78 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.78 है0 आराजी मे मृतका लूंगा बाई का नाम राजस्व रिकार्ड में से हटाया जाकर वादीगण (राजूलाल व संतोष बाई) को 1/5 हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी क्रम 1 (केला बाई) व प्रतिवादी क्रम 2 (तुलसीराम) को 1/5–1/5 हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 7 (दाखा बाई, नवल, मुकेश, राकेश, मीना कुमारी) को 1/5 हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी क्रम 8 का 1/5 हिस्सा मृतक मोहनलाल पुत्र पुन्या के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में यथावत रखा जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें। भूमि की किस्म का नोट जमाबन्दी में यथावत रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 55/2024 **दायर दिनांक :–21.10.2024**

उनवान

1. राजूलाल आयु 35 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति सहरिया निवासी अटरू
2. सन्तोष बाई आयु 40 वर्ष पुत्री बाबूलाल जाति सहरिया निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारों (राज०) मो० 9079909774

वादीगण

बनाम

1. केला बाई आयु 75 वर्ष पुत्री पून्या जाति सहरिया निवासी अटरू
2. तुलसीराम आयु 55 वर्ष पुत्र पून्या जाति सहरिया निवासी अटरू
3. दाखा बाई आयु 50 वर्ष पत्नि स्व० छीतरलाल जाति सहरिया
4. नवल आयु 40 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति सहरिया
5. मुकेश आयु 45 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति सहरिया
6. राकेश आयु 30 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति सहरिया
7. मीना कुमारी आयु 25 वर्ष पुत्री छीतरलाल जाति सहरिया
8. छल्लौ आयु 23 वर्ष पुत्री मोहनलाल जाति सहरिया निवासीगण अटरू तहसील अटरू जिला बारॉं (राज०)
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारों राज

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरश्ती अन्तर्गत धारा 88,89,91 आर0 टी0 एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :–

वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री दिग्विजय सिंह हाडा

मिनजानित मुदई रूबरू .....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 148 का खसरा नं. 1807 का रकबा 0.78 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.78 है0 आराजी मे मृतका लूंगा बाई का नाम राजस्व रिकार्ड में से हटाया जाकर वादीगण (राजूलाल व संतोष बाई) को 1/5 हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी क्रम 1 (केला बाई) व प्रतिवादी क्रम 2 (तुलसीराम) को 1/5–1/5 हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 7 (दाखा बाई, नवल, मुकेश, राकेश, मीना कुमारी) को 1/5 हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी क्रम 8 का 1/5 हिस्सा मृतक मोहनलाल पुत्र पुन्या के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में यथावत रखा जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें। भूमि की किस्म का नोट जमाबन्दी में यथावत रहेगा।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....र..... मुबालिक .....र..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....र..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....र..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 30.06.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)